नम्बर व ता
अहकाम ज
हुक्म की ता
में जारी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी–मनोज , आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या – प्रार्थना पत्र 124/2022

अनवान प्रकरण

1–ओमप्रकाश पिता द्वारकाप्रसाद वैष्णव निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2–नितिन पिता ओमप्रकाश वैष्णव निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3–'निखिल पिता ओमप्रकाश वैष्णव निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
———प्रार्थीगण

बनाम

1–द्वारकाप्रसाद पिता धन्नादास वैष्णव निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब माण्डल जिला भीलवाड़ा
3–राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक एवं उप तहसीलदार साहब बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
(प्रार्थना पत्र बाबत– अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम)

———0———

उपस्थितः– वकील प्रार्थीगण – श्री भैरूलाल बापना एवं विपुल बापना
वकील अप्रार्थी सं01 – श्री श्यामलाल वैद

———0———

दिनांक 6..06.2024

आदेश

प्रार्थीया के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1–यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 का पारिवारिक सजना निम्नानुसार है– द्वारका प्रसाद (विपक्षी सं0 1) द्वारका प्रसाद का पुत्र ओमप्रकाश(प्रार्थी सं0 1) एवं ओमप्रकाश के पुत्र नितिन(प्रार्थी सं0 2) व निखिल (प्रार्थी सं0 3) है। ग्राम बागोर तहसील माण्डल में नया खाता संख्या 459 में आराजी नम्बर 2538 रकबा 0.4426 हैक्टर स्थित है जो प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 के हिन्दू संयुक्त परिवार के अधिकार आधिपत्य की भूमि है। इस हिन्दू संयुक्त परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य विपक्षी संख्या 01 श्री द्वारकाप्रसाद है जिनके नाम पर यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता प्रार्थी सं0 1 ओमप्रकाश है।इस भूमि में प्रार्थीगण काश्त करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested

2–यह कि प्रार्थीगण के हिन्दू संयुक्त परिवार के कब्जे की उक्त आ0नं0 2538 रकबा 0.4426 हैक्टर का हम प्रार्थीगण को भी सहखातेदार काश्तकार घोषित कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है क्योंकि प्रार्थी सं0 1 ओमप्रकाश विपक्षी सं0 1 द्वारकाप्रसाद का पुत्र है व प्रार्थी सं0 2 व 3 विपक्षी संख्या 1 के सगे पौत्र हैं।

3–यह कि विपक्षी संख्या 01 वृद्ध व शारीरिक, मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण कुछ भी काम या व्यवसाय नहीं कर पाते थे जिससे घर परिवार व व्यवसाय

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

का सारा काम विपक्षी सं0 1 का पुत्र प्रार्थी सं0 1 ओमप्रकाश ही करता है और यही उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार का कर्ता है।

4–यह कि विपक्षी सं0 1 को बहकाकर श्री महावीर प्रसाद, लक्ष्मीलाल, मुरलीधर पिता राधाकिशन सेठिया निवासी बागोर हाल निवासी भीलवाड़ा ने ग्राम बागोर में स्थित प्रार्थीगण के हिन्दू संयुक्त परिवार की आराजी नं0 2529–2540–2541–2542 कीता 4 रकबा 0.4805 हैक्टर भूमि का विक्रयपत्र दिनांक 16.06.2022 को निष्पादित व पंजीकृत करा लिया जिसका शून्य व अवैध घोषित कराने हेतु प्रार्थीगण ने दिनांक 27.06.2022 को जिला न्यायाधीश महोदय भीलवाड़ा के न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत कर रखा है जो ठोस आधारों पर होने से अवश्य स्वीकार होगा। अब केवल आ0नं0 2538 रकबा 0.4426 हैक्टर ही शेष बची है जिस पर काश्त करके प्रार्थीगण का हिन्दू संयुक्त परिवार अपना गुजारा कर रहा है।

5–अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 01 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम बागोर तहसील माण्डल की आ0नं0 2538 रकबा 0.4426 हैक्टर भूमि का विक्रय, रहन, दान आदि किसी भी माध्यम से अंतरण किसी अन्य को नहीं करे व इस भूमि से प्रार्थीगण को न तो स्वयं बेदखल करें न अन्य से करावें। विपक्षी संख्या 02 को न्यायालय की आज्ञा के बिना राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं करने व विपक्षी संख्या 03 को दस्तावेज का पंजीयन नहीं करने व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द कराया जावे।

9–यह कि प्रार्थनापत्र दिनांक 30.06.2022 को दर्ज रजिस्टर कर एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। तत्पश्चात विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विपक्षी संख्या 2 व 3 राज्य पक्ष होने एवं राज्यहित प्रभावित नहीं होने से इनके द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। विपक्षी संख्या 01 की ओर से दिनांक 19.10.2023 को जवाब पेश किया। जवाब में प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में अंकित सजरा सहीं होना अंकित किया है। आराजी नम्बर 2538 जवाबदार विपक्षी के हिन्दू संयुक्त परिवार की भूमि नहीं है और न विपक्षी द्वारकादास के सिवाय अन्य किसी का भी कोई आधिपत्य नहीं है, न प्रार्थी हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता ही है। उक्त आराजी को जवाबदार विपक्षी के द्वारा क्रयसुदा भूमि होकर उस पर काबिज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के सहकाश्तकार घोषित होने के अधिकारी नहीं है। उक्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 1287 दिनांक 29.07.1990 से नकल जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046 के खाता संख्या 1219 में क्रेता द्वारकादास पिता धन्नादास बैरागी निवासी बागोर के नाम खाता रदोबदल किया गया।

11–यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 06 आधारहीन है क्योंकि आ0नं0 2529–2540–2541–2542 जवाबदार विपक्षी संख्या [illegible]नलाल पिता चुन्नीलाल महाजन सोनी निवासी बागोर से जरिये [illegible] दिनांक 03.05.1999 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जो [illegible]काल न0 1980 दिनांक 17.06.1999 से दर्ज हुई। इस प्रकार आराजीयात जव[illegible]ार विपक्षी संख्या 01 की स्वअर्जित संपदा है। जिसे अंतरण करने का जवाबदार विपक्षी को वैधानिक अधिकार है। अतः निवेदन है कि विपक्षी संख्या 01 जवाबदाता का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:56:54 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

12—यह कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण के द्वारा ग्राम बागोर पटवार मण्डल बागोर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल बागोर तहसील माण्डल की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 खाता संख्या 459 में दर्ज आराजी नम्बर 2529—2538—2540—2541—2542 कुल कीता 05 कुल रकबा 0.9231 हैक्टर द्वारकाप्रसाद पिता धन्नादास वैष्णव सा0देह खातेदार के नाम की पेश की । आ0नं0 2529—2540—2541—2542 कुल कीता 4 कुल रकबा 0.4805 हैक्टर के रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 16.06.2022 की फोटो प्रति व तहसीलदार सिन्नर से दिनांक 03 जनवरी, 2015 को जारी राशनकार्ड की फोटो प्रति पेश की। विपक्षी के द्वारा अपने जवाब के साथ ग्राम बागोर की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046 के खाता संख्या 1219 में दर्ज आ0नं0 2531—2537—2538 कुल कीता 3 कुल रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा की फोटो प्रति पेश की । दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं के द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की।

13—उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0 का0 अ0 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हमारे हिन्दु संयुक्त परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण ग्राम बागोर में स्थित आ0नं0 2529—2538—2540—2541—2542 कुल कीता 5 कुल रकबा 0.9231 हैक्टर भूमि को विपक्षी सं0 1 के नाम पर हिन्दु संयुक्त परिवार की आय से क्रय किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में विधिक दृष्टान्त 2013 DNJ(S.C.)331 V.K.Surendra V/S V.K.Thimmaiah & Ors । बहस में वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादवर्णित आराजी विपक्षी की स्वअर्जित भूमि है। प्रार्थीगण संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पदा होना प्रार्थीगण साबित नहीं करा पाये हैं । प्रार्थीगण का वादवर्णित भूमि पर कब्जा एवं काश्त होना किसी भी तरह सिद्ध नहीं होता है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में वकील अप्रार्थी ने विधिक दृष्टान्त (1)—2022 आर0बी0जे0 पेज 296 नन्दलाल पिता मगनीराम मेहता बनाम कालू पुत्र पूंजा डांगी वगैरह (2)—2022—2023(सप्लीमेंट्री) पेज 176 दातार सिंह वर्सेज करणी सिंह प्रस्तुत किए हैं। प्रार्थीगण अपने पिता के जीवनकाल में उसकी प्रोपर्टी में कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं और व निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं है। इस सम्बन्ध में विधिक दृष्टान्त (1)—2022 आर0बी0जे0 पेज 745 सुशील अग्रवाल बनाम अनिल अग्रवाल। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्न तीन बिन्दुओं पर निर्णय आवश्यक है।

1— प्रथम दृष्टया मामला 2—सुविधा सन्तुलन एवं 3—अपूरणीय क्षति।

1—प्रथम दृष्टया मामला :— यह कि प्रार्थीगण के द्वारा ग्राम बागोर पटवार मण्डल बागोर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल बागोर तहसील माण्डल की आराजी नम्बर 2538 रकबा 0.4426 हैक्टर में सहखातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु विपक्षी सं0 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड यथा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 459 में अंकित आराजी नम्बर 2529—2538—2540—2541—2542 कुल कीता 05 कुल रकबा 0.9231 हैक्टर द्वारकाप्रसाद पिता धन्नादास वैष्णव सा0देह खातेदार के नाम की पेश की जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:56:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आ0नं0 2529–2540–2541–2542 को पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 16.06.202 से विक्रय करने पर नामान्तरकरण संख्या 4052 दिनांक 19.06.2022 से खाता द्वारकाप्रसाद पिता धन्नादास के बजाय मुरलीधर , महावीर प्रसाद, लक्ष्मीलाल पिता राधाकिशन के नाम अंकित होना सिद्ध होता है। इसमें आराजी नम्बर 2538 रकबा 0.4426 हैक्टर द्वारकाप्रसाद पिता धन्नादास वैष्णव के नाम पर खातेदारी से दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046 के खाता संख्या 1219 में आ0नं0 2531–2537–2538 कुल कीता 3 कुल रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा नंदलाल, ताराचन्द, रतनलाल, हरिवल्लभ पिता मूलचन्द 4/5 हि0ब0, मु0 प्यारबाई बेवा मूलचन्द 1/5 महाजन सा0देह के नाम दर्ज थी। इसमें से प्यारबाई के फौत होने पर विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1009 दिनांक 18.06.1989 से खाता नंदलाल, ताराचन्द, रतनलाल, हरिवल्लभ पिता मूलचन्द हि0ब0के नाम पर खातेदारी से दर्ज हुई । इसमें से आ0नं0 2531 व 2537 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा बिकाव से नामान्तरकरण संख्या 1286 दिनांक 29.07.1990 से खाता ओमप्रकाश पिता द्वारकाप्रसाद बैरागी के नाम दर्ज हुआ। परन्तु आ0नं0 2538 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा बिकाव से नामान्तरकरण संख्या 1287 दिनांक 29.07.1990 से द्वारकादास पिता धन्नादास बैरागी सा0देह के नाम दर्ज होना सिद्ध होता है। इस प्रकार आ0नं0 2538 रकबा 0.4426 हैक्टर विपक्षी संख्या 01 द्वारा क्रय की है जो विपक्षी संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पत्ति है। प्रार्थीगण के द्वारा जो राशनकार्ड दिनांक 03 जनवरी 2015 की फोटो प्रति प्रस्तुत की है उसमें मुख्य पुरूष द्वारकादास पिता धन्नादास वैष्णव है एवं प्रार्थीगण ओमप्रकाश पुत्र एवं निखिल व नितिन पौत्र के नाम दर्ज है। इसमें परिवार का कर्ता विपक्षी संख्या 01 द्वारका प्रसाद ही है और उसी के द्वारा वादवर्णित आराजी क्रय की है जो स्वअर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। प्रार्थीगण यह सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे हैं कि वादवर्णित आराजी को विपक्षी संख्या 01 ने संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय की हो। उक्त प्रकरण पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त 2013 DNJ(S.C.)331 V.K.Surendra V/S V.K.Thimmaiah & Ors यहां पर चस्पा नहीं होता है क्योंकि इस प्रकरण मे प्रार्थीगण के पिता जीवित है एवं रिकॉर्डेड खातेदार होकर वादवर्णित आराजी उनकी स्वयं की खरीदशुदा है। वर्तमान में खातेदार विपक्षी संख्या 01 जीवित है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपने पिता के जीवनकाल में उसकी प्रोपर्टी में कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं और व निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं है। इस सम्बन्ध में विधिक दृष्टान्त (1)–2022 आर0बी0जे0 पेज 745 सुशील अग्रवाल बनाम अनिल अग्रवाल उक्त प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है। एक खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधिसम्मत नहीं है इस [illegible] विपक्षी द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त (1)–2022 आर0बी0जे0 पेज 296 [illegible]लाल पिता मगनीराम मेहता बनाम कालू पुत्र पूंजा डांगी वगैरह (2)–2022–2023([illegible]) पेज 176 दातार सिंह वर्सेज करणी सिंह प्रस्तुत किए हैं जो उक्त प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते हैं। किसी भी खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण के विरूद्ध विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

2–सुविधा सन्तुलनः– जैसा कि वादवर्णित आराजीयात ग्राम बागोर की आ0नं0 2538 रकबा 0.4426 हैक्टर पर प्रार्थीगण अपना कब्जा काश्त होना किसी तरह सिद्ध नहीं करा पाए है तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है ऐसी स्थिति में सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

3–अपूरणीय क्षतिः– जैसा कि वादवर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा सन्तुलन विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में होने से यदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी की जाती है तो विपक्षी संख्या 01 को अपूरणीय क्षति होगी और अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किए जाने पर प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सिद्ध नहीं होने से खारीज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 06-06-2024 को तैयार करा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:56:54 IST
Reason: SelfAttested